

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सं. 03/2024

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

साहेबना पुत्र जुसबरखा जाति
मुसलमान निवासी सेडवा हाल
निवासी हरपालिया, तहसील
सेडवा जिला बाड़मेर

1. सखी मोहम्मद पुत्र गुलमोहम्मद जाति
मुसलमान निवासी सेडवा तहसील
सेडवा जिला बाड़मेर
2. ग्राम पंचायत सेडवा जरिये सरपंच
ग्राम पंचायत सेडवा तहसील सेडवा
जिला बाड़मेर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान
पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध निर्णय दिनांक 03.09.2024
जो पंचायत निगरानी सं. 16/2020 अनवान सखी मोहम्मद बनाम
ग्राम पंचायत सेडवा में इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री सुनील के. मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी एवं कुमार कोशल जोशी अप्रार्थी सं. 1 की ओर
से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 सूचना बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23/12/2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि
अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा प्रार्थी श्री साहेबना के पक्ष में
राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम सेडवा में
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 28 दिनांक 20.06.2019
जारी किया गया। ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी
करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं
किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं
अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97



के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 16/2020 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 03.09.2024 के द्वारा स्वीकार कर आलौच्य पट्टा को निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03.09.2024 के विरुद्ध यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सेड़वा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.06.2019 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में बताये गये नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत सेड़वा की आबादी भूमि थी जिस पर प्रार्थी का आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पुराने कब्जा शुदा आवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर ग्राम पंचायत सेड़वा ने नियमानुसार नियमन की पत्रावली मिसल संख्या 23/2019 कायम कर बाद मौका निरीक्षण आम आपति आमंत्रित करने उपरान्त पूर्णतः वैध कार्यवाही करते हुए प्रार्थी से नियमन राशि के रूप में 200/- प्राप्त कर प्रार्थी के पक्ष में संकल्प संख्या 3 की अनुपालना में दिनांक 20.06.2019 को पट्टा जारी किया था। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2020 को पेश किया जिसके पश्चात् उक्त प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायत से अभिलेख तलब किया गया। इस पर अप्रार्थी संख्या 02 अर्थात् प्रार्थी के अधिवक्ता को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित अंकित किया गया है किंतु अप्रार्थी ग्राम पंचायत के जरिये सरपंच की तलबी हुई या नहीं एवं यदि हुई तो उसकी ओर से उपस्थित हुआ अथवा नहीं, इस बाबत कोई उल्लेख संपूर्ण आदेशिका में नहीं है न ही



अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी स्थिति में स्थापित रूप से विप्रार्थी ग्राम पंचायत सेड़वा को कोई सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि "परंतु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।" इसके साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रकरण में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहा। इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तो उनकी अनुपस्थिति में उसी दिन दिनांक 28.08.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही किए बिना पत्रावली दिनांक 03.09.2024 को निर्णय हेतु नियत कर दी, जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। जो धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम में स्पष्टतया उल्लेखित सुनवाई का अवसर देने के बाद ही कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है के विधि के विरुद्ध है इसलिए उक्त प्रकरण का पुनर्विलोकन (रिव्यू) करते हुए प्रार्थी (पुनर्विलोकनकर्ता) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना आलौच्य निर्णय पारित किया गया जिसके विरुद्ध उक्त आदेश का पुनर्विलोकन कर अप्रार्थी सं. 1 का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमावें।

3. अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त परिसर पूर्व स्वामी एवं कब्जाधारी व्यक्ति बरकतअली पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सेड़वा से दिनांक 02.01.2017 को प्रतिफल राशि रूपये 5,00,000/- अदा कर खरीदा गया था। इस संबंध में जो 500/- का स्टाम्प विक्रेता बरकत अली द्वारा स्टाम्प विक्रेता अशोक कुमार से कय किया गया था, उस स्टाम्प के नंबर डी184629 है जो जिला कोषाधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 25.11.2016 को स्टाम्प विक्रेताओं को विक्रय हेतु जारी किए



गए थे। प्रार्थी द्वारा रुपये 200/- की फीस अदा करना उल्लेखित करते हुए पट्टे को उपपंजीयन सेड़वा के समक्ष दिनांक 09.08.2019 को पेश कर पंजीबद्ध करवाया, जो उप पंजीयक सेड़वा में दिनांक 09.08.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 224 में पृष्ठ संख्या 62 क्रम संख्या 201903065101347 पर पंजीबद्ध है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में नियमों की पूर्ण पालना कर पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय दस्तावेजों की अनदेखी कर भूलवश पारित किया गया है। इसका पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित है।

4. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से लिखित जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे वाली भूमि का गलत पट्टा प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सेड़वा से जारी करवा लिया तथा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय विधिसम्मत पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अप्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड मौजा सेड़वा की आबादी भूमि में आया हुआ है। प्रार्थी का मौके पर न तो कोई कब्जा है और न ही पुराना मकान है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि 02.01.2016 को खरीदी गई है जिसके बेचाननामा (ईकारारनामा प्लॉट बेचान) का उल्लेख किया है पर वह ईकारारनामा प्लॉट बेचान का पूर्ण रूप से गलत एवं अवैध है क्योंकि इकरारनामों का 500/- का यह स्टाम्प पेपर जिला कोष कार्यालय से दिनांक 25.11.2016 को जारी हुआ है, जिसकी सील स्टाम्प पेपर पर अंकित है किन्तु इस बेचान के ईकरारनामे का निष्पादन 02.01.2016 को होना अंकित है, जो कि किसी दशा में सम्भव ही नहीं है। इस कुटुरचित ईकरारनामे को नोटेरी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को तस्दीक करवाना दृष्टिगोचर हो रहा है। इतनी देरी से तस्दीक करवाने से इसका निष्पादन संदेह पैदा करता है। इस प्रकार प्रार्थी ने विवादित पट्टे को हासिल करने हेतु जिस कथित बेचान के ईकरारनामे को आधार बनाया है वह स्वयं ही अवैध



है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि उल्लेखित भू-खण्ड बेचान का ईकारारनामा दिनांक 02.01.2016 बरकत अली द्वारा निष्पादित किया जाना दर्शाया गया है, मगर बरकत अली ऐसे किसी भी बेचान पत्र/ईकारारनामा को निष्पादित करने का अधिकार ही नहीं है। कथित बेचान पत्र/ईकारारनामा अवैध है क्योंकि बरकत अली पुत्र गुल मोहम्मद ने अपनी माता मोहतों को साथ रखकर इस भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 31.08.2005 को कर दिया था। तब से अर्थात् 31.08.2005 से मौके पर इस प्लॉट की भूमि पर उक्त बरकत अली का कोई कब्जा या मालिकाना हक नहीं रहा। अब सन् 2016 से पुनः इस प्लॉट को प्रार्थी को जरिये ईकारारनामा बेचान करना सर्वथा अवैध एवं अनाधिकृत है। सन् 2005 में रजिस्टर्ड बेचान पत्रों में बरकत अली के हस्ताक्षर सुपाठ्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय होना दर्शित है जबकि 2016 के कथित बेचान पत्र में अंकित हस्ताक्षर सर्वथा भिन्न है, स्पष्ट नहीं है एवं हस्ताक्षरों का सही होना पूर्ण रूप से संदेहास्पद है। इसके साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2025(1)DNJ(Rev.)187 अनवान भूरालाल बनाम शांतिलाल प्रस्तुत की जिसमें यह बताया गया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 229-आदेश दिनांक 14.12.2004 विरुद्ध रिव्यू-प्रार्थी ने आदेश 14, नियम 5 के अंतर्गत नयी तनकी विचरित करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र खारिज किया-बोर्ड ने भी निगरानी खारिज की-रेकार्ड के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि दिखाने हेतु नया तथ्य नहीं उठाया-रिव्यू क्षेत्राधिकारिता की आड़ में पुनः सुनवाई करना अनुज्ञेय नहीं है-निर्णीत, रिव्यू गुणागुणहीन है व खारिज किया।" अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य हैं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता पक्षकारान को सुना। प्रार्थी की ओर प्रकट किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 ने न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत एवं निराधार तथ्य प्रस्तुत किये जाकर अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित पारित करवाया है। प्रार्थी के पक्ष में



जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त परिसर पूर्व स्वामी एवं कब्जाधारी व्यक्ति बरकतअली पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सेड़वा से दिनांक 02.01.2017 को प्रतिफल राशि रुपये 5,00,000/- अदा कर खरीदा गया था। इस संबंध में जो 500/- का स्टाम्प विक्रेता बरकत अली द्वारा स्टाम्प विक्रेता अशोक कुमार से क्रय किया गया था, उस स्टाम्प के नंबर डी184629 है जो जिला कोषाधिकारी बाडमेर द्वारा दिनांक 25.11.2016 को स्टाम्प विक्रेताओं को विक्रय हेतु जारी किए गए थे। प्रार्थी द्वारा रुपये 200/- की फीस अदा करना उल्लेखित करते हुए पट्टे को उपपंजीयन सेड़वा के समक्ष दिनांक 09.08.2019 को पेश कर पंजीबद्ध करवाया, जो उप पंजीयक सेड़वा में दिनांक 09.08.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 224 में पृष्ठ संख्या 62 क्रम संख्या 201903065101347 पर पंजीबद्ध है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में नियमों की पूर्ण पालना कर पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय दस्तावेजों की अनदेखी कर भूलवश पारित किया गया है। इसका पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि विवेच्य पट्टा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी होना पट्टे पर अंकित किया गया है जो कि 50 वर्ष पुराने गृहों (मकान) के निर्मित होने के आधार पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। किन्तु पट्टाधारी प्रार्थी ग्राम सेड़वा का निवासी ही नहीं है, वह ग्राम पंचायत हरपालिया का निवासी है फिर भी उत्तरदाता संख्या 02 ग्राम पंचायत ने यह पट्टा जारी किया, जो विधि विरुद्ध एवं अनियमित होने से अपास्त योग्य था। प्रार्थी ने विवादित भूखण्ड के क्रय किये जाने बाबत जिस बेचाननामा (ईकारारनामा प्लॉट बेचान) का उल्लेख किया है वह ईकारारनामा प्लॉट बेचान का पूर्ण रूप से गलत एवं अवैध है, क्योंकि इकारारनामों का 500/- का यह स्टाम्प पेपर जिला कोष कार्यालय से दिनांक 25.11.2016 को जारी हुआ है, जिसकी सील स्टाम्प पेपर पर अंकित है किन्तु इस बेचान के ईकारारनामे का निष्पादन 02.01.2016 को होना अंकित है, जो कि किसी



दशा में सम्भव ही नहीं है। इस कुटरचित ईकरारनामे को नोटेरी द्वारा दिनांक 02.11.2017 को तस्दीक करवाना दृष्टिगोचर हो रहा है, इतना देरी से तस्दीक करवाने से इसका निष्पादन संदेह पैदा करता है। इस प्रकार प्रार्थी ने विवादित पट्टे को हांसिल करने हेतु जिस कथित बेचान के ईकरारनामे को आधार बनाया है, वह स्वयं ही अवैध है। प्रार्थी के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेखों से सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन करने से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत सेड़वा के समक्ष प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सार्वजनिक आपति प्रमाण-पत्र का नोटिस विधिवत रूप स्थान से प्रकाशित नहीं हैं। इसके अलावा आदेशिका में जिन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया है, उनके पूर्ण विवरण भी अंकित नहीं है ऐसे में जो मौका कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में सम्मिलित की गई है, वह अप्राधिकृत रूप से तैयार मौका रिपोर्ट है। आदेशिका पर तिथिवार सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है इससे प्रकट होता है कि यह सन्देहास्पद है। इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक बैठक में पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार आलोच्य पट्टा जारी करने संबंधित पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत की ओर से की गई कार्यवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही है। अतः प्रार्थी के पक्ष में निगरानी अधीन पट्टा विलेख दिनांक 20.06.2019 के संबंध में आलौच्य निर्णय में दिया गया विनिश्चय विधिक प्रावधानों के अनुकूल पाया जाता है तथापि रिव्यू का दायरा अत्यंत सीमित है। जिसमें मात्र लिपिकीय त्रुटियों का परिमार्जन किया जा सकता है। प्रार्थी ने ऐसी कोई लिपिकीय त्रुटि उजागर नहीं की है। अतः इस आधार पर प्रार्थी का यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर मूल निगरानी प्रार्थना पत्र में पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 03.09.2024 को यथावत रखा जाता है।



7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



[Signature]
(राजेन्द्र सिंह बख्शिवत
अति.जिला कलक्टर,
बाड़मेर)